भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1069

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

तेलंगाना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्ति

1069. डॉ.जी. रणजीत रेड्डी:

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या तेलंगाना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों/अतिरिक्त न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों में से कई पद रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उच्च न्यायालय के समुचित कार्यकरण तथा लंबित मामलों के निपटारे के लिए रिक्त पद भरने हेतु क्या उठाए गए/उठाए जा रहे है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए कोई नाम भेजे हैं जो सरकार के पास लंबित पड़े हैं ; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन मामलों का कब तक निपटान किया जायेगा ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : तारीख 19.07.2022 तक तेलंगाना उच्च न्यायालय में 42 स्वीकृत पद संख्या में से 27 न्यायाधीश कार्यरत हैं और 15 पद रिक्त पडे हैं ।

तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद संख्या वर्ष 2021 में 24 से बढ़ाकर 42 की गई थी । वर्ष 2021 में तेलंगाना उच्च न्यायालय में 17 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे ।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत्, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों

पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है । नियमित अंतरालों में सरकार विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए नामों को ग्रहण करती है, जो संगम ज्ञापन प्रक्रिया के उपाबंधों के अनुसार आवश्यक अनुमोदन के लिए तैयार किए गए हैं । जब कि प्रत्येक प्रयास विद्यमान रिक्तियों को तत्परता से भरने के लिए किया गया है, उच्च न्यायालयों में रिक्तियां न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, पदत्याग या उन्नयन के कारण हो रही हैं और न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि भी एक कारण है ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान संगम ज्ञापन प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के लिए रिक्तियों के होने से छह माह पूर्व उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्ताव आरंभ करना अपेक्षित है । सरकार केवल उन्ही व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है, जिनकी उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा सिफारिश की गई है ।

****